

# काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

## बी०एच०यू० प्रेस

दिनांक : 22-06-2018

### रद्दी कागज निविदा सूचना

लगभग 50 किंवटल (1) कागज कतरन (2) पेपर स्वीपिंग (3) कागज की पट्टी (लगभग 3" से 5" चौड़ी) (4) अनुपयोगी अल्युमिनियम प्लेट (5) विगत वर्षों के पंचांग इत्यादि के छपे हुए फर्मा तथा खारिज प्रतियाँ के लिये मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है। लिफाफे पर रद्दी कागज की निविदा अवश्य लिखा होना चाहिए। उपर्युक्त निविदा प्रति किंवटल के दर से प्रोफेसर इंचार्ज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, वाराणसी-221005 के पते पर मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 14.07.2018 को 11:30 बजे अपराह्न तक या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। प्रत्येक निविदा के साथ जमानत की राशि रु. 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा देनी होगी और यह ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक प्रोफेसर इंचार्ज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रेस, वाराणसी के नाम से देना होगा, जो स्टेट बैंक आफ इण्डिया बी०एच०यू० ब्रान्च, वाराणसी पर देय होगा।

निविदा उसी दिन 12:30 बजे अपराह्न में सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। यदि कोई निविदा किसी शर्त इत्यादि के साथ दी जायेगी तो उसकी कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उक्त तिथि को अकस्मात् छुट्टी इत्यादि के कारण कार्यालय बन्द हो जाता है तो अगले दिन कार्यालय खुलने पर निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। माल जिस हालत में रखा हुआ है उसी हालत में दिया जायेगा। यदि कोई निविदाकर्ता माल को देखना चाहता है तो वह किसी भी दिन कार्यालय के समय में निवेदन करके देख सकता है।

आपके निविदा के स्वीकृत हो जाने पर माल उठाने के लिए इस कार्यालय से सूचित किया जायेगा। स्वीकृत दरें 31 मार्च 2019 तक मान्य होगी माल शीघ्र ही नगद भुगतान करके किरतों में उठाना होगा, पत्र में दी गयी अवधि के भीतर यदि माल न उठाया गया तो आपकी जमानत का रुपया जप्त कर लिया जायेगा। जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं होगी उनका बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक वापस कर दिया जायेगा। बिना कोई कारण बताये ही किसी भी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर देने अथवा माल को एक या एक से अधिक निविदाकर्ताओं को दे देने का अधिकार प्रोफेसर इंचार्ज के पास आरक्षित है। सामान्य वित्तीय नियम के अनुरूप उक्त रद्दी सामानों के क्रय पर जी.एस.टी. भी अदा करना होगा। जी.एस.टी. की दरें निम्न हैं— कागज कतरन, पेपर स्वीपिंग, कागज की पट्टी, खारिज प्रतियाँ व अनुपयोगी अल्युमिनियम प्लेट 5 प्रतिशत।

1. कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सूचनार्थ ।
2. मुख्य आरक्षाधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सूचनार्थ।
3. आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सूचनार्थ ।

  
प्रोफेसर इंचार्ज  
आचार्य प्रभारि / PROFESSOR-INCHARGE  
बी०एच०यू० प्रेस एवं पब्लिकेशन विभाग  
B.H.U. PRESS AND PUBLICATION DIVISION  
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय / BANARAS HINDU UNIVERSITY  
वाराणसी-221005 / VARANASI-221005